प्रेसनोट

पिथौरागढ़–23.10.13(सूवि),

अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़ बी.एल. राणा ने सूचित किया है कि 1 जनवरी 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर जनपद की धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़ एवं गंगोलीहाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का 18 अक्टूबर से 12 नवंबर तक समस्त पदाभिहीत स्थलों/मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसीलदार के कार्यालयों में कार्य दिवसों में जनसाधारण के अवलोकनार्थ आलेख्य प्रकाशन किया गया है। उक्त आलेख्य प्रकाशन की अवधि में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों उपरोक्त स्थलों मे पदाभिहीत अधिकारियों के पास निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी

उन्होंने कहा है कि यदि कोई अर्ह व्यक्ति जो 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या ऐसे मतदाता जिनका नाम किन्हीं कारणों से नामावली में सम्मिलित न हो एवं समस्त अर्हताएं पूरी करता हो, नवीनतम फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रारूप–6 भरकर बीएलओ को आवेदन कर सकता है। यदि किसी मतदाता का फोटो अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण हो तो प्रारूप–8 नवीनतम फोटोग्राफ सहित तथा किसी मतदाता की मृत्यु या सामान्यतः उस क्षेत्र से अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया हो तो प्रारूप–7 में बीएलओ को आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र 25 रूपये नगद भुगतान या ट्रेजरी चालान सहित नियत प्रारूप–8 में एक रंगीन फोटोग्राफ के साथ संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के कार्यालय में जमा कर निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त बीएलओ को निर्देशित किया है कि वे उपरोक्त आलेख्य प्रकाशन की अवधि में अपने–अपने मतदेय स्थल में पर्याप्त नियत प्रारूप सहित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगें। उन्होंने कहा कि समस्त मतदाता एवं नागरिकों को यदि किसी भी प्रकार की जानकारी आदि प्राप्त करनी हो तो टोल फ्री नंबर 1950 में सम्पर्क कर सकते है अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय पिथौरागढ़ के दूरभाष नंबर 05964–225236 एवं तहसीलों के दूरभाष नंबरों में सपंर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

पिथौरागढ़–23.10.13(सूवि),

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने अवगत कराया है कि जनपद की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नसीमांकन, पुर्ननिर्धारिण एवं संशोधन के पश्चात प्रस्तावित मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप विधानसभा क्षेत्र 42–धारचूला में 137 मतदेय स्थल, 43–डीडीहाट में 119, 44–पिथौरागढ़ में 135 तथा 45–गंगोलीहाट में 150, कुल 514 मतदेय स्थल स्थापित किये गये हैं।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़–23.10.13(सूवि),

सूचना अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत 50 लोक सूचना अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज विधिवत समाप्त हो गया। इस अवसर पर बोलते हुए मास्टर ट्रेनर प्रधानाचार्य आईटीआई आर.एस.मर्तोलिया एवं खण्ड विकास अधिकारी, बेरीनाग चिन्ता राम आर्य, विभिन्न विभागों के 50 लोक सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम की बारीकियों से रूबरू कराने के साथ अधिनियम की सभी धाराओं, एवं उप धाराओं की बारीकी से अध्ययन करने और अनुरोधकर्ताओं को समय से सूचनाएं उपलब्ध कराने की नसीहत दी।

मास्टर ट्रेनरों ने कहा कि ‘सूचना’ के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (च) के अधीन ‘सूचना’ परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित ‘सूचना’ से इतर सूचना यथा प्रश्नों के उत्तर या ऐसी सूचना जिस पर मत स्थिर कर नया निर्णय लेने की आवश्यकता हो, का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को ‘सूचना धारित नहीं है’ से अवगत करायेंगे, साथ ही ‘सूचना’ के लिए ऐसे अनुरोध पत्र, जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गई है, पर विचार नहीं किया जायेगा।

उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सूचना अधिकारियों को बताया कि अनुरोधकर्ता द्वारा एक ही अनुरोध पत्र में दो लोक प्राधिकारियों से संबंधित सूचना मांगने पर लोक सूचना अधिकारी अपने लोक प्राधिकारी से संबंधित ‘सूचना’ यथा प्रक्रिया अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायेंगे तथा लोक प्राधिकारी का स्पष्ट ज्ञान न होने पर अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोधकर्ता को सूचना करेंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन द्वारा मांगी गई ‘सूचना, का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार का कारण सूचित करेंगे साथ ही अनुरोध अस्वीकार करने के विरूद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि विवरण से भी अनुरोधकर्ता को सूचित करेंगे।

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ लोक प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के वित्त एवं लेखाधिकारी के नाम संदेय 10 रूपये मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल आर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा, इस हेतु आवेदक को बीपीएल कार्ड की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। उन्होंने कहा कि ए–3 व ए–4 आकार के पृष्ठ हेतु 2.00 रूपये प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत ली जायेगी। अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटे हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा, उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु 5.00 रूपये का शुल्क देय होगा। डिस्केट अथवा फ्लापी पर सूचना दिये जाने हेतु 50.00 रूपये प्रति डिस्केट अथवा फ्लापी जमा करायी जायेगी।

मास्टर ट्रेनरों ने अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1), लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्य, अधिकार व दायित्व, विभागीय अपीलों, द्वितीय अपील, क्षतिपूर्ति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।

समापन के दिन प्रशिक्षण को अपर जिलाधिकारी बीएल राणा आदि ने भी संबोधित किया। संचालन पीएस डीनिया ने किया।

प्रेसनोट

पिथौरागढ़–23.10.13(सूवि),

जिलाधिकारी डा.नीरज खैरवाल ने राज्य में आयी भीषण आपदा के दृष्टिगत राज्य सरकार और उत्तराखंड कौशल विकास समिति के माध्यम से एल.एण्ड टी., आईएल.ओ., फिकी द्वारा जनपद के युवाओं हेतु रोजगारप्रद निःशुल्क आवासीय बार कारपेन्टर, बैन्डर, मेसन (मिस्त्री एवं) व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु खण्ड विकास अधिकारियों, जिला पंचायतराज अधिकारियों के माध्यम से आपदाग्रस्त क्षेत्रों के युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिसमें 9 सितम्बर को प्रथम बैच एल एण्ड टी प्रशिक्षण केन्द्र पिलखुआ, गाजियाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त हेतु भेजा जा चुका है।

उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के साथ जिला पंचायतराज अधिकारी को इच्छुक अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष तथा कक्षा 5 उत्तीर्ण हो, अपना पंजीकरण कराने हेतु सूचित/नामित करने तथा अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभागीय भेजने के निर्देश दिये हैं, जिससे 9 नवम्बर से तृतीय प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों प्रशिक्षण केन्द्र भेजा जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नवनिर्माण एवं पुर्नस्थापना कार्यो में उपयोगी एवं रोजगारपरक सिद्ध होगा।

जिलाधिकारी ने जनपद में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के युवाओं को, ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों के माध्यम से सूचित करने एवं उक्त अधिकारियों एवं ग्राम प्रधानों को इच्छुक अभ्यर्थियों के पंजीकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही कर अमल में लाने के निर्देश दिये हैं।

पिथौरागढ़–23.10.13(सूवि),

प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय ने सूचित किया है कि संसदीय सचिव, उच्च शिक्षा (कैबिनेट मंत्री स्तर) 25 अक्टूबर को 11.30 बजे डूगरलेख से प्रस्थान कर 11.45 बजे भैंसियाछाना (सेराघाट) पहुंचेंगे जहां सम्पर्क कर राजकीय इण्टर कालेज सेराघाट के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और 15.00 बजे ग्राम बूढ़ाधार में बैठक में प्रतिभाग करेंगे।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।